



RANCHI UNIVERSITY, RANCHI

अधिसूचना

उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, (उच्च शिक्षा निदेशालय) योजना भवन, नेपाल हाउस परिसर, झोरण्डा राँची के पत्रांक पत्रांक DHEsec5/AFFILGEN COL-22/2020/HTESD 986 दिनांक 16.09.2020 के आलोक में राँची विश्वविद्यालय अन्तर्गत 21 महाविद्यालयों को बी०एड० एवं 3 (तीन) एम०एड० पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-2023 एवं 2022-2024 के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ संबन्धन पर स्वीकृति प्रदान की गई है-

क्र.स.	बी०एड० महाविद्यालय का नाम/शिक्षण संस्थान का नाम एवं पता	निर्णय
1.	अविराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टिको, कुडू लोहरदगा	स्वीकृत
2.	समर्पणदीप बी०एड कॉलेज, उषामातु, रातु, राँची	स्वीकृत
3.	मोती राज देवी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, साण्डी ओरमाँझी, राँची	स्वीकृत
4.	शाईन-अब्दुल रज्जाक अंसारी इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, ईरबा, राँची	स्वीकृत
5.	श्री राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, प्रेमनगर, पिस्का नगरी, राँची	स्वीकृत
6.	भारती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कन्दरी, मांडर, राँची	स्वीकृत
7.	जसपुरिया बी०एड० कॉलेज, अनगडा, राँची	स्वीकृत
8.	उदय भेमोरियल बी०एड० कॉलेज, केदल, नेवरी, राँची	स्वीकृत
9.	आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, कुदलुम, राँची	स्वीकृत
10.	सतोष कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एण्ड एजुकेशन, तुपुदाना राँची	स्वीकृत
11.	संत जेवियर्स कॉलेज, राँची	स्वीकृत
12.	मनरखन महतो बी०एड० कॉलेज, केदल, बी०आई०टी० मोड़, राँची	स्वीकृत
13.	शहीद शेख भिखारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पिठोरिया, काँके, राँची	स्वीकृत
14.	बेथेसदा वीमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, राँची	स्वीकृत
15.	संघमित्रा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, मनातु, ओरमाँझी, राँची	स्वीकृत
16.	जे० डी० नेशनल बी०एड० कॉलेज, जानुम, अनगडा, राँची,	स्वीकृत
17.	आर०टी०सी० बी०एड० कॉलेज, बुटी, राँची	स्वीकृत
18.	फातमा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, दुबलिया, चन्दवे, काँके, राँची	स्वीकृत
19.	कैम्ब्रिज इन्स्टीच्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन टाटीसिल्वे, राँची	स्वीकृत
20.	मदर जिरामनी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, ओरमाँझी, राँची	स्वीकृत
21.	उर्सलाईन वीमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लोहरदगा	स्वीकृत
22.	मनरखन महतो बी०एड० कॉलेज, केदल, बी०आई०टी० मोड़, राँची	एम.एड.पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृत
23.	बेथेसदा वीमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, राँची	एम.एड.पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृत
24.	उर्सलाईन वीमेन्स टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, लोहरदगा	एम.एड.पाठ्यक्रम हेतु स्वीकृत

2 शर्तों -

- (i) महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन समय सीमा के अन्दर किया जायेगा।
- (ii) महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर द्वारा लगाये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- (iii) महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्राक्धान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- (iv) विभाग द्वारा महाविद्यालयों का कभी भी औद्यक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन0सी0टी0ई0/राज्य सरकार / विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
- (v) महाविद्यालय को दो वर्ष के अन्दर NAAC Accrediation कराना आवश्यक होगा।


ह/-

कुलसचिव
राँची विश्वविद्यालय, राँची

दिनांक 15/10/2020

पत्रांक 69-7122-7154
प्रतिलिपि-

1. राँची विश्वविद्यालय अन्तर्गत उपर्युक्त 21 बी0एड0 एवं 03 एम0एड0 महाविद्यालयों (सम्बद्धता प्राप्त),
2. संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
3. परीक्षा नियंत्रक, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
4. प्रो0-इन-चार्ज, टेबुलेशन सेंटर, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
5. उप-कुलसचिव-1, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
6. सहायक कुलसचिव-1, पंजीयन शाखा, राँची विश्वविद्यालय, राँची,
7. कुलपति, प्रतिकुलपति एवं कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।


कुलसचिव

राँची विश्वविद्यालय, राँची

